न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57/2018

आर्यभट्ट ऐकेडमी सोसायटी अजमेर जरिये सचिव अमित शास्त्री पुत्र डॉ0 बी.आर.शास्त्री, जाति यादव, निवासी कायड रोड, घूघरा, अजमेर।

वादी

बनाम

1. रूकमा उर्फ रतनी पुत्री भारमल
2. गणेशी पत्नि गोविन्द (गोविन्द पुत्र भारमल)
3. बलदेव पुत्र गोविन्द
4. हरदेव पुत्र गोविन्द
5. रामकरण पुत्र गोविन्द
6. देवकरण पुत्र गोविन्द
7. पुष्कर पुत्र गोविन्द
8. हेमराज पुत्र गोविन्द
9. सुगनी पुत्री गोविन्द
10. संतोष पुत्री गोविन्द
11. लक्ष्मी पुत्री गोविन्द
12. सायरी पुत्री हरलाल (हरलाल पुत्र भारमल)
13. सीमा पुत्री हरलाल
14. रमेश पुत्र हरलाल
15. देवली पुत्री हरलाल
16. मतिया पुत्री हरलाल
17. ग्यारसी पुत्री हरलाल
18. मनभर पुत्री हरलाल
19. सोनू पुत्री हरलाल
20. लक्ष्मण पुत्र हरलाल
21. सुण्डा पुत्र नानू (मृतक) जरिये वारिसानः–
    21/1 कानी पुत्री सुण्डा
    21/2 भंवरी पुत्री सुण्डा
    21/3 श्रवणी पुत्री सुण्डा
    21/4 रामकरण पुत्र सुण्डा
    21/5 उगमाराम पुत्र सुण्डा
    21/6 रामलाल पुत्र सुण्डा
22. रूकमा पत्नि नाथू
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।
24. उप पंजीयक महोदय, अरडका, जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955
समक्ष
श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

उपस्थित :–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक वादी
2. श्री हेमराज गुप्ता — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक ....

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 की संयुक्त सह काश्तकारी, सह खातेदारी की आराजीयात ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण आधारभूत जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1938	0.90	बा. 2
1939	0.40	''
1940	0.12	''
कुला किता 03 रकबा 1.42 हैक्टयर		

उक्त वर्णित सारणी में अंकित आराजीयात पर वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 अपने अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें वादी का आधार जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वादी का 3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 का एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 का 2 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 22 का 2 हिस्सा निहित है। उपरोक्त हिस्से अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 22 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रखा है परन्तु आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ वरन सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में अब बेंईमानी आ गई है इसलिए प्रतिवादीगण वादी को खेत जोतने, बोने, निराई–गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने एवं लगान जमा कराते समय झगडा–फसाद करने पर आमादा रहते है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नहीं है अतः भूमि के मूल्य व लगान के अनुसार रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक ... जिस

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

हेतु उक्त वाद वास्ते बंटवारा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,6,7,8,9 व 10 स्वंय उपस्थित आये। जिन्होने वाद को स्वीकार करने का कथन कर विभाजन किये जाने का मौखिक निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1,5,11 से 22 बावजूद तामिल सम्मन के अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। राजकीय अभिभाषक ने कथन किया की विवादित आराजी खातेदारी व सहकाश्तकारी की आराजी है जिसमें राजहित निहित नहीं है।

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य पीडब्लयू 1 श्री अमित शास्त्री के बयान कराये गये तथा प्रदर्श 1 जमाबंदी संम्वत 2071–74 व सन् 1983–84 नक्शा ट्रेस के दस्तावेज को प्रदर्शित कराये गये।

वाद पत्र पर वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा संख्या 1938 रकबा 0.90, खसरा संख्या 1939 रकबा 0.40 व खसरा संख्या 1940 रकबा 0.12 किस्म बारानी 2 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 उक्त भूमि में वादी की क्रयशुदा कुल भूमि में से तीन हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 के मध्य किस्म मूल्य एंव लगान के अनुसार भूमि का विभाजन/बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर न्यायालय के समक्ष बाद प्रमाणीकरण प्रस्तुत करे। वादी का वाद इसी कदर स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री इसी कदर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 का0 अधि01955

मुकदमा नम्बर :–57/2018

आर्यभट्ट ऐकेडमी सोसायटी अजमेर जरिये सचिव अमित शास्त्री पुत्र डॉ0 बी.आर.शास्त्री, जाति यादव, निवासी कायड रोड, घूघरा, अजमेर।

वादी

बनाम

1. रूकमा उर्फ रतनी पुत्री भारमल
2. गणेशी पत्नि गोविन्द (गोविन्द पुत्र भारमल)
3. बलदेव पुत्र गोविन्द
4. हरदेव पुत्र गोविन्द
5. रामकरण पुत्र गोविन्द
6. देवकरण पुत्र गोविन्द
7. पुष्कर पुत्र गोविन्द
8. हेमराज पुत्र गोविन्द
9. सुगनी पुत्री गोविन्द
10. संतोष पुत्री गोविन्द
11. लक्ष्मी पुत्री गोविन्द
12. सायरी पुत्री हरलाल (हरलाल पुत्र भारमल)
13. सीमा पुत्री हरलाल
14. रमेश पुत्र हरलाल
15. देवली पुत्री हरलाल
16. मतिया पुत्री हरलाल
17. ग्यारसी पुत्री हरलाल
18. मनभर पुत्री हरलाल
19. सोनू पुत्री हरलाल
20. लक्ष्मण पुत्र हरलाल
21. सुण्डा पुत्र नानू (मृतक) जरिये वारिसानः–
    21/1 कानी पुत्री सुण्डा
    21/2 भंवरी पुत्री सुण्डा
    21/3 श्रवणी पुत्री सुण्डा
    21/4 रामकरण पुत्र सुण्डा
    21/5 उगमाराम पुत्र सुण्डा
    21/6 रामलाल पुत्र सुण्डा
22. रूकमा पत्नि नाथू

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

समस्त जाति गुर्जर, निवासी चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।
24. उप पंजीयक महोदय, अरडका, जिला अजमेर।

निर्णय दिनांक :-04.02.2020

वादी की ओर से अभिभाषक श्री मदनपुरी गोस्वामी एंव प्रतिवादी संख्या 1,5,11 से 22 अनुपस्थित व प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से श्री हेमराज राठौड असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 04.02.2020 को श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा संख्या 1938 रकबा 0.90, खसरा संख्या 1939 रकबा 0.40 व खसरा संख्या 1940 रकबा 0.12 किस्म बारानी 2 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 उक्त भूमि में वादी की क्रयशुदा कुल भूमि में से तीन हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 के मध्य किस्म मूल्य एंव लगान के अनुसार भूमि का विभाजन/बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर न्यायालय के समक्ष बाद प्रमाणीकरण प्रस्तुत करे। वादी का वाद इसी कदर स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री इसी कदर जारी हो। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

सहायक कलक्टर (मु)
अजमेर
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1-वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2-शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3-प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4-रूपये पर प्लीडर की फीस 5-साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय 6-कमिश्नर की फीस 7-आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर (मु)
अजमेर
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 57/2018

अन्तर्गगत धारा 53,188 आरटीए

भट्ट ऐकेडेमी बनाम रूकमा

प्रति—तहसीलदार,
अजमेर

विषयः— निण्रय दिनांक 04.02.2020 मे पारित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको उपरोक्त प्रकरण मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 की प्रति सलंग्न भिजवाई जा रही है, नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना मे बटवारा प्रस्ताव तीन तीन प्रतियो मे मय भिन्न भिन्न नक्शे की प्रतियो के न्यायालय मे अतिशीघ्र प्रस्तुत करें

सलग्नः—उपरोक्त

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner